मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, भोपाल म.प्र.

न्यू ब्रायलर भवन, कोटरा सुल्तानाबाद रोड, भोपाल
फोन नं. – 0755–2776086 ,

क्रमांक/ /निविदा/2010–11/ भोपाल, दिनांक .2010

निविदा प्रपत्र
व्यक्तिमूलक योजनांतर्गत साण्ड, नर सूकर, सूकरत्रयी एवं नर बकरे के प्रदाय हेतु निविदा आमंत्रण।

मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, भोपाल म.प्र.

अनुक्रमणिका

सरल क्र.	विवरण
1	प्रभाग–अ : जांच सूची Check list
2	प्रभाग–ब : निविदाकारों के लिए जानकारी एवं मार्गदर्शन Information & instructions to bidders
3	प्रभाग–स : निविदा नियम एवं शर्ते Tender terms & conditions
4	प्रभाग–क : तकनीकी प्रस्ताव एवं विषय–वस्तु Technical proposal & content
5	प्रभाग–ख : वित्तीय प्रस्ताव एंव विषयवस्तु 1 Financial Proposal & content
5.1	परिशिष्ट–1 Annexure -
6	स्पेसीमेन–1 : निविदाकार के बारे में सामान्य जानकारी Specimen 1 : General Information about bidders
7	स्पेसीमेन–2 : घोषणा पत्र Specimen 2 : Declaration letter
8	स्पेसीमेन–3 : सहमति पत्र Specimen 3 : Acceptance letter
9	स्पेसीमेन–4 : काली सूची में नाम नही होने का घोषणा पत्र Specimen 4 : Declaration for not being Black listed
10	स्पेसीमेन–5 : निविदाकार या निविदाकार के साथ कार्य करने वाले लोग जिनके रिश्तेदार पशु चिकित्सा सेवाये म.प्र. एवं म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम में राजपत्रित अधिकारी के रूप में कार्यरत हो, की जानकारी Specimen 5 : Details of personnel working with the bidder and have relatives as gazetted officers in Deptt. of Veterinary Services M.P. and M.P.Livestock & Poultry Development Corporation

प्रभाग–अ : जांच सूची
Check list

सरल क्र.	अभिलेख/ दस्तावेज
	तकनीकी प्रस्ताव (लिफाफा–**A**)
1	**स्पेसीमेन** 1 – निविदाकार के बारे में सामान्य जानकारी (वांछित प्रपत्र में दस्तावेज तैयार कर प्रस्तुत करना है। Specimen 1 - General Information about bidders (Documents to be Prepare as per the format provided elsewhere in tender document.)
2	**स्पेसीमेन** 2 – घोषणा पत्र (वांछित प्रपत्र में दस्तावेज तैयार करवाकर प्रस्तुत करना हैं) Specimen 2 - Declaration letter (Documents to Preparas per the format provided elsewhere in tender document.)
3	**स्पेसीमेन** 3 – सहमति पत्र (वांछित प्रपत्र में दस्तावेज तैयार करवाकर प्रस्तुत करे) **Specimen 3** - Acceptance letter (Documents to be Prepar as per the format provided elsewhere in tender document.)
4	**स्पेसीमेन** 4 – काली सूची में नाम नही होने का घोषणा पत्र। (वांछित प्रपत्र में दस्तावेज तैयार करवाकर प्रस्तुत करे) **Specimen 4 -** Declaration for not being Black listed (Documents to bes Prepar as per the format provided elsewhere in tender document.)
5	**स्पेसीमेन** 5 – निविदाकार या निविदाकार के साथ कार्य करने वाले लोग जिनकेरिश्तेदार म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम में राजपत्रित अधिकारी के रूप मेंकार्यरत हो, की जानकारी। (वांछित प्रपत्र में दस्तावेज तैयार करवाकर प्रस्तुत करे) **Specimen 5 -** Details of personnel working with the bidder and haverelatives as gazetted officers in

	M.P.Livestock & Poultry Development Corporation (Documents to be Prepar as per the format provided elsewhere in tender document.)
6	सुरक्षा निधि राशि के बैंक ड्राफ्ट को जिसे निर्धारित समयसीमा में भौतिक/प्रत्यक्ष रूप में कार्यालय प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम भोपाल में जमा किया जाना हैं। Bank draft deposited in physical to M.P.Livestock & Poultry Development Corporation,Bhoal on key dates mentioned in Tender schedule as Security Deposit -
7	विगत 3 वर्षो में पशु प्रदाय का विवरण। (प्रदाय, देयक की अभिप्रमाणित प्रति) – दस्तावेजो को प्रस्तुत करे तथा प्रजनन प्रक्षैत्र की प्रोफाईल प्रस्तुत करें Details of animal supply (duly attested copies of delivery & Bills, & breeding form profile
8	एक्सपीरियेन्स सर्टिफिकेट (नियम एवं शर्ते की कंडिका 08 अनुसार, अभिप्रमाणित प्रति) – Duly attested Experience certificate (As mentioned in S.No. 08 of terms & conditions section) -
9	आयकर विभाग द्वारा जारी PAN/TAN अभिलेख की अभिप्रमाणित प्रति। Duly attested copy of PAN/TAN documents issued by Income Tax Department-
	विगत तीन वित्तीय वर्षो का सी.ए. द्वारा प्रमाणित टर्न ओवर प्रमाण पत्र तथा ऑडिट रिपोर्ट duly attested Turnover certificate of last 3 yerars & audit report issued by CA.
	वित्तीय प्रस्ताव (लिफाफा–B)
1	**परिशिष्ट–1** Annexure -1

प्रभाग–ब : निविदाकारों के लिए जानकारी एवं मार्गदर्शन
Information & instructions to bidders

निविदाकारों को सलाह है कि संपूर्ण निविदा प्रपत्र सावधानीपूर्वक पढ़कर समझ ले। निविदाकारों को अपने तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव, निर्धारित प्रारूप में भरकर देना है।

टीप :–निविदा प्रकिया हेतु निर्धारित दिनांक निम्नानुसार है:–

स0क0	म0प्र0राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की अवस्थाएं	निविदाकारों की अवस्थाएं	प्रारंभ दिनांक एवं समय	अंतिम दिनांक एवं समय
1	निविदा आमंत्रण सूचना	–	14.07.10	
2	–	म0प्र0राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम में निविदा जमा करना	16.07.10	23.08.10 (अपरान्ह 5.30 बजे तक)
3		सुरक्षा निधि राशि के बैंक ड्राफ्ट भौतिक प्रत्यक्ष रूप से कार्यालय प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम में जमा किया जाना हैं।	16.07.10	23.08.10 तक (अपरान्ह 5.30 बजे तक)

स0क0	म0प्र0राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की अवस्थाएं	निविदाकारों की अवस्थाएं	प्रारंभ दिनांक एवं समय	अंतिम दिनांक एवं समय
4	लिफाफा ''A''(तकनीकी प्रस्ताव)खोलना एवं मूल्यांकन करना	–	25.08.10 (पूर्वान्ह 12.00. बजे)	
5	लिफाफा ''B''(वित्तीय प्रस्ताव) खोलना एवं मूल्यांकन करना	–	26.08.10 (पूर्वान्ह 12.00 बजे)	
6	–	मोलभाव दर प्रस्तुत करना (Fill Nigotiated Rate)	27.08.10	
7	मोलभाव दर देखना	–	28.08.10	
8	निविदा स्वीकृति	–	30.08.10	04.09.10

1. निविदा समय–सीमा में उल्लेखित अवस्थायें '' मोल–भाव दर प्रस्तुत करना'' एवं ''मोल–भाव दर देखना'' के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार क्रेता का होगा।

आवश्यकतानुसार प्रदायकर्ता को संसूचित किया जावेगा।

प्रस्ताव जमा करनाः–

निविदाकार अपने प्रस्तावों को संलग्न प्रपत्र में और प्रभाग–क : तकनीकी प्रस्ताव एवं विषयवस्तु तथा प्रभाग–खः वित्तीय प्रस्ताव एवं विषयवस्त ुअनुसार प्रत्यक्ष रूप से जमा करेंगे।

तकनीकी प्रस्ताव हेतु प्रपत्र लिफाफा–ए (Envelope A) में होंगे। वित्तीय प्रस्ताव हेतु प्रपत्र लिफाफा–बी (Envelope B) में होंगे।

सुरक्षा निधि भौतिक/प्रत्यक्ष रूप से अलग लिफाफे में, जिसके ऊपर " **व्यक्तिमूलक योजनांतर्गत नर सूकर, सूकर त्रयी, नर बकरे एवं गौ वंशीय, भैंसवंशीय साण्डों के प्रदाय हेतु सुरक्षा निधि**" लिखा हो कोनिविदा समय–सीमा में उल्लेखित दिनांक व समय अनुसार म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम भोपाल में जमा करना होगा। लिफाफे पर निविदाकार का नाम, पता का उल्लेख होना चाहिये।

यदि निविदाकार एक से अधिक श्रेणी में प्रदाय हेतु भाग लेता है तो वह उन श्रेणीयों हेतु वांछित सुरक्षा निधि राशि का एक ही बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत कर सकता है।

यदि निविदाकार द्वारा भाग लिये गए श्रेणी में से कम श्रेणी में प्रदाय हेतु चयनित होता है तो उसे पुनरीक्षित सुरक्षा निधि की राशि (श्रेणी की अनुमानित राशि का 2 प्रतिशत) बैंक ड्राफ्ट के रुप में जमा करना होगा। निविदाकार द्वारा पूर्व में प्रदाय सुरक्षा निधि राशि का बैंक ड्राफ्ट वापस किया जावेगा।

निविदाकार को अपने प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में ही जमा करने होंगे। सशर्त निविदा निरस्त की जावेगी।

निविदाकार द्वारा प्रस्ताव एवं दर प्रस्तुत करने से निविदाकार प्रमाणित करता है कि सभी दस्तावेज व जानकारी जो कि वह प्रस्तुत कर रहा है, वह उनकी जानकारी अनुसार सही व उचित है एवं निविदाकार ने निविदा की सभी नियम व शर्ते जो कि निविदा प्रपत्र में उल्लेखित है, पढ़ एवं समझ ली है तथा उन्हे मानने हेतु सहमत है। प्रस्ताव एवं दर प्रस्तुत करने से निविदाकार आवश्यकतानुसार प्रदाय आदशे की पूर्ति हेतु सहमति व्यक्त करता है।

निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात प्राप्त प्रस्ताव निरस्त किये जायेंगे।

प्रस्ताव की वैधता :–

दर अनुमोदन दिनांक के एक वर्ष की अवधि तक सफल निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दरे एवं निविदा की नियम एवं शर्ते वैध होगी। दर अनुमोदन अवधि को क्रेता एवं प्रदायकर्ता की सहमति एवं क्रेता के अधिकार अंतर्गत आगे की अवधि बढाई जावेगी।

प्रस्ताव की भाषा एवं मुद्रा :–

निविदाकार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले सभी दस्तावेज अंग्रेजी या हिन्दी में होंगे। यदि निविदाकार के द्वारा हिन्दी या अग्रेंजी के अतिरिक्त अन्य भाषा में दस्तावेज प्रस्तुत किये जाते है तो उसकी अग्रेजी भाषा में अनुवाद हुई अभिलखे, जो कि राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हो, प्रस्तुत किया जावेगा। अग्रेजी अनुवाद अभिलेख नही प्रस्तुत करने पर निविदा निरस्त करने योग्य होगी। प्रस्ताव में उल्लेखित दरें भारतीय रूपये में उल्लेखित करनी होगी।

निविदा खर्च :–

इच्छुक निविदाकार निविदा प्रक्रिया में लगने वाले सभी खर्च स्वयं वहन करेंगे। क्रेता किसी प्रकार के खर्च के लिए उत्तरदायी नही होगा, चाहे निविदा का परिणाम जो भी हो।

प्रस्ताव निरस्तीकरण का जोखिम :–

कोई भी प्रस्ताव अपर्णू होने की स्थिति में निरस्त किया जावेगा जैसे अपर्णू तकनीकी प्रस्ताव या वित्तीय प्रस्ताव । वित्तीय प्रस्ताव में अपठनीय रूप से उल्लेखित दर होने पर प्रस्ताव निरस्तीकरण किया जावेगा। सशर्त निविदा भी निरस्त की जावेगी।

निविदा का मूल्यांकन :–

क्रय समिति द्वारा तकनीकी प्रस्ताव मूल्यांकन व चयन पश्चात वित्तीय प्रस्ताव खोले जायेंगे। तथा सबसे कम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार (एल–1), द्वितीय कम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार (एल–2) एवं तृतीय कम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार (एल–3) का निर्धारण किया जायेगा।

चयनित निविदाकारो को निविदा के परिणाम के बारे में संसूचित किया जावेगा। असफल निविदाकारों द्वारा जमा किये गये सुरक्षा निधि राशि को उनके पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा वापिस भेजा जावेगा।

निविदा का निरस्तीकरण/ निविदा स्वीकार करना :–

1. किसी भी ऐसी निविदा पर विचार नही किया जावेगा जो कि उल्लेखित सभी आवश्यकताएं की पूर्ति नही करती हो, साथ ही निर्धारित समय अवधि में प्रस्तुत नही की गई हो।

2. संसूचित अनुमानित क्रय मात्रा अनुसार ही क्रयादेश की बाध्यता नहीं होगी। स्वीकृति, बंटन उपलब्धता के आधार पर क्रय मात्रा कम या अधिक करने का अधिकार क्रेता का होगा।

दण्डनीय प्रावधान :–

मध्यप्रदेश शासन के भण्डार क्रय नियम अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

प्रस्ताव को स्वीकार करने का माध्यम :–

प्रस्तावों को रजिस्टर्ड डाक या प्रत्यक्ष रूप से जमा होने पर ही स्वीकार किया जावेगा। बशर्ते कि प्रस्ताव निर्धारित समय एवं दिनांक तक क्रेता के कार्यालय में प्राप्त हो जाय।

प्रदायकर्ताओं को काली सूची में नामांकन का अधिकार :–

प्रदायकर्ता द्वारा किसी नियम एवं शर्तो के उल्लंघन की स्थिति में उसे पूर्ण रूप से या किसी सामग्री हेतु या निश्चित अवधि हेतु काली सूची में नामांकन करने का अधिकार क्रेता के पासहै। काली सूची में उल्लेखित प्रदायकर्ता एवं उसकी संस्था को भविष्य में विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले निविदा में भाग लेने हेतु अयोग्य घोषित किया जावेगा।

प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकस निगमं
भोपाल म.प्र.

प्रभाग–स : निविदा नियम एवं शर्ते
Tender terms & conditions

1. सुरक्षा निधि राशि (प्रावधानित क्रय राशि का 2 प्रतिशत) राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट के रुप में '' प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम भोपाल म.प्र.'' के पक्ष में देय हो, को भौतिक/प्रत्यक्ष रूप से अलग लिफाफे में जिसके ऊपर '' व्यक्तिमूलक योजनांतर्गत साण्ड, नर सूकर, सूकरत्रयी एवं नर बकरे के प्रदाय हेतु सुरक्षा निधि'' लिखा हो को निविदा समय–सीमा में उल्लेखित दिनांक व समय अनुसार प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम भोपाल में जमा करना होगा। लिफाफे पर निविदाकार का नाम, पता का उल्लेख होना चाहिये।

2. निविदाकार अपने प्रस्तावों को निर्धारित प्रपत्र (टेम्पलेट) में और प्रभाग–क : तकनीकी प्रस्ताव एवं विषयवस्तु तथा प्रभाग–ख : वित्तीय प्रस्ताव एवं विषयवस्तु अनुसार निर्धारित समय सीमा में जमा करेंगे।

3. यदि साण्ड, नर सूकर, सूकरत्रयी एवं नर बकरे के प्रदाय हेतु प्रस्ताव किसी फर्म अथवा कम्पनी द्वारा भरी जाती है, तो फर्म के प्रत्येक भागीदार के हस्ताक्षर होने चाहिये। भागीदार की अनुपस्थिति में उस सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिये, जिसे अनुपस्थित भागीदार ने वैधानिक रूप से अधिकार पत्र दिया हो। साण्ड, नर सूकर, सूकरत्रयी एवं नर बकरे के प्रदाय हेतु प्रस्ताव स्वीकृति हेतु खुलने के दौरान ऐसे सभी कागजात प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसे अधिकृत किए गये सदस्यों की वैधानिकता तथा फर्म जो कि भारतीय साझेदारी अधिनियम (Indian Partnership Act) के अंतर्गत पंजीकृत की गई है एवं उसके सदस्यों की संख्या का उल्लेख करते हों। **साझेदारी** (Partnership Deed)/ Certificate of Incorporation के **दस्तावेजो की सत्यापित प्रति**, निविदाकार के बारे में जानकारी प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि निविदाकार, भागीदार कंपनी है तो, कंपनी के कम से कम 2 डायरेक्टरों के हस्ताक्षर अनिवार्यतः होना चाहिए । (निविदाकार के बारे में जानकारी – स्पेसिमेन – 1 अनुसार)

4. एक व्यक्ति या फर्म से एक से अधिक प्रस्ताव अलग–अलग नाम से नहीं ली जायेगी। तत्संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

5. पशु प्रदायकों को पशुओं के परिवहन के दौरान कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम **"पशु क्रूरता अधिनियम"** एवं पशु परिवहन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

6. पशु प्रदायकों को जिला/विकासखण्ड में पशु उपलब्ध कराने का आदेश दिया जा सकता है। आदेशकर्ता स्वयं क्रेता या उनके द्वारा संसूचित अधिकारी हो सकते है। पशु प्रदायकर्ता को क्रेता द्वारा संसूचित किसी भी जिले में साण्ड, नर सूकर, सूकरत्रयी एवं नर बकरे प्रदाय करने होंगे। पशु प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत दरे सभी जिलों हेतु समान होगी। क्रेता के पास अधिकार सुरक्षित है कि वह अपने क्रेता के अधिकार विभागीय अधिकारी को आदेश जारी करने एवं भुगतान करने हेतु प्रत्यायोजित करे। ऐसे में प्रदायकर्ता हेतु आदेशकर्ता अधिकारी ही क्रेता होगा तथा भुगतान हेतु देयक उसे ही प्रस्तुत करना होगा। अनुमोदित दरों पर क्रयादेश क्रेता या क्रेता द्वारा संसूचित अधिकारी जारी करेंगे।

7. यदि प्रदायक द्वारा निर्धारित समयावधि 30 दिन के अंदर पशु प्रदाय नहीं किया जाता है तो इस संबंध में अपना अभ्यावेदन आदेशकर्ता अधिकारी को समयावधि के एक सप्ताह के पूर्व देगा। यदि पशु प्रदायकर्ता द्वारा उचित कारण दर्शाते हुए समय की मांग कर राहत मांगी जाती है तब क्रेता अपनी विवेक से समय देते हुए लिखित में संसूचित करेगा तथा दिया गया समय 15 दिन से अधिक नहीं होगा। इस दी गई अवधि के व्यतीत होने पर भी यदि पशु प्रदायकर्ता द्वारा पशु प्रदाय नहीं किया जाता तब क्रेता के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह क्रय आदेश राशि का 02 प्रतिशत् की दर से अर्थदण्ड वसूली करे तथा अनुबंध को समाप्त कर L2 प्रदायक को पशु प्रदाय के आदेश दिये जाने हेतु कार्यवाही की जावेगी तथा L1 की सुरक्षा निधि से राशि वसूल की जावेगी। प्रदायक अनुबंध की शर्तानुसार होने वाली क्षति के लिए जिम्मेदार होंगे तथा 2 प्रतिशत की दर से कुल अनुबंध राशि के अर्थदण्ड की वसूली उनके देयक अथवा जमा सुरक्षा निधि राशि से की जावेगी। तथा प्रदायक को काली सूची में डाला जावेगा। इससे शासन को हुई क्षति की पूर्ति (मय हर्जाना) के लिए पशु प्रदायक बाध्य होगा।

8. पशु प्रदायकर्ता द्वारा विगत 3 वित्तीय वर्षों में संबंधित श्रेणी के कम से कम 1000 पशुओं का किसी शासकीय/अर्धशासकीय संस्था को प्रदाय करने का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिसमें प्रदायित पशु का प्रकार, संख्या, राशि एवं विभाग का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो। पशु प्रदाय का प्रमाण पत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/संयुक्त/उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवायें एवं म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। संबंधित पशु श्रेणी सूकर, बकरा, एवं साण्डों का अलग–अलग अनुभव प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे। अथवा प्रदायकर्ता अपने प्रजनन प्रक्षैत्र के प्रोफाईल (विवरण जिसमें पेरेन्ट स्टॉक,प्रजनन प्रक्षैत्र Pure Breed हो एवं कम से कम 02 वर्ष से स्थापित एवं शासकीय/अर्द्व शासकीय एवं अन्य को प्रदाय का प्रमाण–पत्र लगायें। प्रक्षैत्र की क्षमता Pure Breed की कम से कम 100 हो। इत्यादि का उल्लेख हो) को प्रस्तुत कर सकता है। तदाशय का प्रमाण पत्र संबंधित जिले के संयुक्त/ उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवायें या मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/निगम के कार्यपालिक अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, उसे प्रस्तुत किया जावें।

9. पशु प्रदायकों को निम्न मापदण्ड अनुसार साण्ड, नर सूकर, सूकरत्रयी एवं नर बकरे उपलब्ध कराने होंगे :

i. प्रदाय किये जाने वाले पशु का स्वास्थ्य परीक्षण, आदेशकर्ता अधिकारी द्वारा संसूचित राज्य के अंदर जिलों में पशु प्रदायकर्ता द्वारा की जावेगी। जिले की निर्धारित समिति द्वारा पशुओं की जांच की जावेगी। पशु स्वस्थ एवं वांछित नस्ल के लक्षण एवं मापदण्डों के अनुरूप होने पर ही स्वीकार किया जावेगा। अस्वीकृत, अचयनित एवं बीमार पशुओं को पशु प्रदायकर्ता द्वारा स्वयं के व्यय पर वापस लिया जावेगा।

ii. पशु प्रदायकर्ता के द्वारा जमुनापारी बकरे (1 से 2 वर्ष) एवं मिडिल व्हाइट यार्क शायर, मादा सूकर व नर सूकर (आयु 9–12 माह) प्रदाय करना होगा । निर्धारित उम्र से कम/अधिक आयु के पशु अस्वीकार किये जावेंगे, तथा पशु प्रदायकर्ता को भारतीय गौवंशीय साण्ड– साहीवाल, गिर, निमाडी, केनकथा, मालवी, थारपारकर, हरियाणा एवं भैंस वंशीय मुर्रा साण्ड नस्ल के प्रजनन योग्य साण्ड जो 2 से 4 पक्के दात के हो प्रदाय करना होगा।

iii. पशु प्रदायकर्ता प्रदाय किये जाने वाले पशुओं को उस ऋतु तक लगने वाले समस्त टीकाकरण यथा सूकर में स्वाइन फीवर, एफ.एम.डी. एवं बकरे में एन्ट्रोटाक्सिमिया, पी.पी.आर, एफ.एम.डी. एव साण्डों में एफ.एम.डी.ए एच.एस. एन्थ्रेक्स एवं बी क्यू का प्रतिबंधात्मक टीकाकरण लगाये जाने का प्रमाण पत्र जो कि रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक द्वारा जारी किया गया हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पशु वितरण पूर्व तत्सबंध का प्रमाण पत्र समिति को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

iv. पशुधन प्रदायकों को निम्न मापदण्ड अनुसार सूकर, बकरे एवं साण्ड उपलब्ध कराने होंगे
:—

क्रमांक	नस्ल	आयु	रिमार्क
1	ग्रेडेड जमुनापारी बकरा ऊंचाई 32" व 2से 4 पक्के दांत	1 से 2 वर्ष	उक्त पशु प्रजनन योग्य होने चाहिए।
2	मिडिल व्हाइट यार्क शायर नर सूकर	9 से 12 माह	नर सूकर न्यूनतम शारीरिक वजन 45kg
3	सूकरत्रयी इकाई (2मादा+1नर)	9 से 12 माह	न्यूनतम वजन नर—45kg मादा—40kg
4	गौ साण्ड एवं मुर्रा साण्ड	2 से 4 दांत 2 से 4 दांत	प्रजनन योग्य

v. नस्ल व मापदण्ड के विवाद में शंका की स्थिति में संयुक्त/उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें जिला (संबंधित जिला) द्वारा गठित तकनीकि समिति द्वारा जांच की जाकर उनके अभिमत अनुसार पशु स्वीकार/अस्वीकार किये जावेंगे। ऐसे अस्वीकार किये गये पशुओं को प्रदायक द्वारा स्वयं के व्यय पर वापस प्राप्त करना होगा। संयुक्त/उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, जिला (संबंधित जिला) को उनको निरस्त (Reject) करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. पशु प्रदायकर्ता का प्रस्ताव अमान्य होने पर, प्रस्ताव के अंतिम निर्णय होने की तिथि के बाद इच्छुक पशु प्रदायकर्ता की सुरक्षा निधि बगैर ब्याज के वापस की जायेगी।

12. पशु प्रदायकर्ता, पशु प्रदाय की आदेश प्राप्ति होने पर नियमित एवं निरंतर पशु प्रदाय कर क्रय आदेश की पूर्ति सुनिश्चित करेगा जिसके अंतर्गत प्रत्येक कालखण्ड में क्रयादेश की न्यूनतम 25 प्रतिशत् आपूर्ति अनिवार्य होगी।

13. यदि प्रदायकर्ता द्वारा अनुबंध, वर्णित तिथि एवं समय पर नहीं किया जाता, तब सुरक्षा निधि राशि राजसात करते हुए पशुधन प्रदाय हेतु प्रस्ताव निरस्त किया जा सकता है। सफल निविदाकार की सुरक्षा निधि राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।

14. समस्त प्रकार के कर (विक्रय कर, आक्ट्राय आदि) प्रदायक द्वारा वहन किये जायेंगे। तथा स्त्रोतों पर आयकर की कटौत्री नियमानुसार की जावेगी।

15. पशु प्रदायक द्वारा स्वयं लिए गये पूरे पशु प्रदाय कार्य या कार्य के किसी हिस्से को किसी अन्य को देने का अधिकार नहीं होगा। पशु प्रदाय हेतु निविदाकार, निविदा शर्त अनुसार बाध्य होगा।

16. मापदण्ड अनुरूप पशुओं का प्रदाय तथा क्रयादेशों की यथासमय प्रदायगी नही ं करने की स्थिति में उन्हे Black List किया जाकर, जमा की गई सुरक्षा निधि राजसात की जा सकेगी।

17. अनुमोदित दरें जारी दिनांक से एक वर्ष तक प्रभावशील होगी। पशुओं के मूल्य में जारी होने के दिनांक से एक वर्ष तक कोई परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा। किन्तु दोनो पक्षों की सहमति पश्चात् अनुमोदित दर एवं शर्तो पर आगामी अवधि बढ़ाई जा सकेगी। किन्तु इसके एवज में निविदा शर्त में कोई संशोधन मान्य नहीं होगा।

18. निविदाकर्ता अधिकारी को प्रदायकों के साथ चर्चा एवं निगोशियेशन (समझौता) के द्वारा पशुओं के मूल्य निर्धारण करने का अधिकार रहेगा।

19. केता के साथ किये गये अनुबंध को इस प्रस्ताव के नियम एवं शर्तो में समाहित माना जायेगा।

20. किसी भी प्रकार से विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में केवल भोपाल के सक्षम न्यायालय में ही क्षेत्राधिकार निहित होगा।

21. जिले में प्रदायित किये जा रहे पशुओं के मापदण्ड, भुगतान या इस निविदा से संबंधित पक्षकारों के मध्य किसी भी विवाद की स्थिति में विवाद का निराकरण, शासन/विभाग के द्वारा नियुक्त Arbitrator के द्वारा किया जावेगा, जो दोनों पक्षों को बंधनकारी होगा।

22. फायनेंशियल बीड में प्रस्तुत पशुओं की दरों मे समस्त व्यय शामिल होंगे।

23. समयावधि के भीतर निविदा शर्त के अनुसार पशु प्रदायकर्ता द्वारा पशु प्रदायित न किये जाने पर अनुबंध/निविदा निरस्त किया जा सकता है तथा आगामी प्रदायगी आदेश स्थगित किया जाना प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, भोपालया उनके द्वारा संसूचित अधिकारी के अधीन होगा।

24. पशु स्वास्थ्य परीक्षण दल द्वारा किसी भी प्रकार की बीमारी (संक्रामक/जुनोटिक) की पुष्टि किये जाने पर उक्त पशु प्रदायकर्ता के द्वारा स्वयं के व्यय पर प्रदेश से वापस ले जाना होगा एवं उन पशुओं का राज्य में विक्रय किया जाना, दान दिया जाना, आवारा पशु के रूप में छोड़ा जाना प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंधित पशुओं के राज्य में विक्रय किया जाना, दान दिया जाना, आवारा पशु के रूप में छोड़ा जाने की सूचना पर सुरक्षा निधि राजसात की जा सकेगी। उक्त समस्त निर्णय प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम या उनके द्वारा संसूचित अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में निहित होंगे।

25. एल–1 पशु प्रदायक द्वारा आपूर्ति नही किये जाने की स्थिति में एल–2 पशु प्रदायक से आपूर्ति ली जा सकेगी एवं अंतर की राशि एल–1 पशु प्रदायक द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि राशि से वसूल की जा सकेगी।

———00———

26. पशु प्रदाय प्रस्ताव की स्वीकृत पर विभागीय क्रय समिति के समक्ष आवश्यक प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों की प्रस्तुति परीक्षण हेतु अनिवार्य है।

27. पशु प्रदाय प्रस्ताव के स्वीकृत होने की स्थिति में, पूर्तिकार को रू0 100/– के नान–ज्यूडीशियल स्टैंप पेपर पर अनुबंध में हस्ताक्षर करने होंगे, जो प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, भोपाल द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र (परिशिष्ठ–2) के अनुरूप होगा।

28. चयनित पशुओं के हितग्राही को वितरण पावती प्राप्त की जावेगी जिसे पशु स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र एवं पशु प्रदायकर्ता के द्वारा प्रस्तुत देयक व टीकाकरण प्रमाण–पत्र के साथ भुगतान की कार्यवाही हेतु क्रयआदेशकर्ता कार्यालय को प्रेषित किया जावेगा। समस्त दस्तावेज व देयक के परीक्षण पश्चात उचित पाये जाने पर शत प्रतिशत राशि का भुगतान क्रयआदेशकर्ता कार्यालय में दस्तावेज व देयक प्राप्ति दिनांक के 30 दिवस की अवधि के अन्दर किया जावेगा।

29. पशु प्रदायकर्ता को योजनांतर्गत प्रदाय किये जाने वाले पेडिग्रीड मुर्रा सांडो के सी.एच.आर.एस. अंतर्गत पंजीयन प्रमाण–पत्र प्रभारी पशु चिकित्सालय/समिति को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके अनुसार,प्रदाय किये जाने वाले पेडिग्रीड मुर्रा सांडो की मां का न्यूनतम दुग्ध उत्पादन 2400 लीटर प्रति ब्यांत होना चाहिए।

30.सेन्ट्रल हर्ड रजिस्ट्रेशन स्कीम अंतर्गत पंजीकृत पेडिग्रीड मुर्रा सांड ही क्रय किए जावेंगे। सेन्ट्रल हर्ड रजिस्ट्रेशन के अभिलेखों की प्रमाणिकता का दायित्व प्रदायक का होगा। चयनदल अभिलेखों का सूक्ष्म परीक्षण करने के पश्चात ही पेडिग्रीड मुर्रा सांडो का चयन करेंगे। चयनदल को प्रदायकर्ता सभी वांछित दस्तावेज, जिसमें कि सी.एच.आर.एस. के सक्षम अधिकारी (डिप्टी रजिस्ट्रार/असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार/फील्ड इन्सपेक्टर) द्वारा जारी सत्यापन प्रमाण–पत्र, जिसमें पेडिग्रीड मुर्रा सांडो के सी.एच.आर.एस. में पंजीकरण के सत्यापन उनके द्वारा किये जाने का उल्लेख हो, की मूलप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उक्त सत्यापन प्रमाण–पत्र में पेडिग्रीड मुर्रा सांडो के टेग नम्बर व सांड की मां के दुग्ध उत्पादन क्षमता (ब्यात में दुग्ध उत्पादन लीटर में) का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

प्रभाग–क : तकनीकी प्रस्ताव एवं विषय–वस्तु
Technical proposal & content

तकनीकी प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु इच्छुक निविदाकार नीचे उल्लेखित क्रम व प्रारूप में जानकारी प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त दस्तावेज पढ़ने योग्य होना चाहिए। क्रेता की आवश्यकतानुसार निविदाकार को उपलब्ध कराये गये दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु प्रस्तुत करनी होगी।

1. – निविदाकार के बारे में सामान्य जानकारी (स्पेसीमेन–1)
   - General Information about bidders (notorized on 50/- rupee Non- judicial stamp paper (Specimen - 1)

2. – घोषणा पत्र (पचास रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित) (स्पेसीमेन–2)
   - Declaration letter (notorized on 50/- rupee Nonjudicial stamp paper) (Specimen - 2)

3. – सुरक्षा निधि राशि के बैंक ड्राफ्ट की। जिसे निर्धारित समय सीमा में भौतिक /प्रत्यक्ष रूप में प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, भोपाल में जमा किया गया है।
   - Bank draft deposited in physical to Managing Director, M.P.Livestock & Poultry Corporation,Bhopal on key dates mentioned in Tender schedule as Security Deposit

4. – विगत 3 वर्षो पशु प्रदाय का विवरण। (प्रदाय, की अभिप्रमाणित प्रति) तथा प्रजनन प्रक्षैत्र की प्रोफाइल (पेरेन्ट स्टॉक इत्यादि)
   - Details of animal supply (duly attested copies of delivery & Parent stock of breeding farm)

5. –एक्सपीरियेन्स सर्टिफिकेट (नियम एवं शर्ते की कंडिका 08 अनुसार, अभिप्रमाणित प्रति)
   - Duly attested Experience certificate (As mentioned in S.No. 08 of terms & conditions section)

6. सहमति पत्र (पचास रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित) (स्पेसीमेन–3)

- Acceptance letter (notorized on 50/- rupee Nonjudicial stamp (Specimen - 3)

7. – काली सूची में नाम नही होने का घोषणा पत्र। (पूर्व में मध्यप्रदेश राज्य अथवा अन्य किसी भी राज्य में पशु प्रदाय हेतु ब्लैक लिस्ट न किये जाने का नोटरी के समक्ष घोषणा पत्र राशि रूपये पचास के स्टाम्प पेपर पर) (स्पेसीमेन–4)

- Declaration for not being Black listed (letter of declarattion mentioning not being blacklisted by any state including Madhya Pradesh previously) (Specimen - 4)

8. – आयकर विभाग द्वारा जारी PAN/TAN अभिलेख की अभिप्रमाणित प्रति।

- Duly attested copy of PAN/TAN documents issued by Income Tax Department

9. – निविदाकार या निविदाकार के साथ कार्य करने वाले लोग, जिनके रिश्तेदार पशु चिकित्सा सेवायें, म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम में राजपत्रित अधिकारी के रूप में कार्यरत हो, की जानकारी। (स्पेसीमेन–5)

- Details of personnel working with the bidder and have relatives as gazetted officers in Veterinary Department og M.P Livestok & Poultry Corporation (Specimen - 5)

10. – विगत तीन वित्तीय वर्षो का सी.ए. द्वारा प्रमाणित टर्न ओवर प्रमाण पत्र तथा ऑडिट रिपोर्ट की अभिप्रमाणित पावती प्रति।

- duly attested Turnover certificate of last 3 yerars & audit report issued by CA of of last 3 years.

————00————

प्रभाग–ख : वित्तीय प्रस्ताव एंव विषयवस्तु
Financial Proposal & content

वित्तीय प्रस्ताव रजिस्टर्ड या प्रत्यक्ष रूप से करने होंगे।

वित्तीय प्रस्ताव को तैयार करने हेतु आवश्यक प्रपत्र (टेम्पलेट) उपलब्ध हैं। प्रस्तावों को निविदाकार द्वारा हस्तांक्षरित करना अनिवार्य है।

परिशिष्ट–1

वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप
(वित्तीय प्रस्ताव उपलब्ध टेम्पलेट में भरे जावे)

मध्यप्रदेश राज्य के जिलों में चयन हेतु पशुधन को उपलब्ध कराने एवं चयनोपरांत हितग्राही के घर तक पहुंचाने एवं समस्त प्रकार के व्यय सहित प्रस्तुत दरें :–

क्र.	विवरण	अनुमानित क्रय संख्या (पशु संख्या)	अनुमानित मूल्य (रूपये मे)	वांछित सुरक्षा निधिराशि (रूपये मे)	प्रस्तावित दरे प्रति पशु (रूपये मे)
1	नर बकरा नस्ल – जमुनापारी ऊंचाई 32" व 2से 4 पक्के दांत आयु – 1 से 2 वर्ष, पशु प्रजनन योग्य होने चाहिए।	7372	2,65,39,200	5,30,784	
2	नर सूकर नस्ल – मिडिल व्हाइट यार्क शायर न्यूनतम शारीरिक वजन – 45 किग्रा., आयु– 9 से 12 माह पशु प्रजनन योग्य होने चाहिए।	1356	36,61,200	73,224	
3	सूकरत्रयी इकाई (1नर + 2 मादा) नस्ल – मिडिल व्हाइट यार्कशायर न्यूनतम शारीरिक वजन– नर– 45 किग्रा मादा–40 किग्रा आयु– 9 से 12 माह पशु प्रजनन योग्य होने चाहिए	95	7,22,000	14,440	

क्र.	विवरण	अनुमानित क्रय संख्या (पशु संख्या)	अनुमानित मूल्य (रूपये मे)	वांछित सुरक्षा निधिराशि (रूपये मे)	प्रस्तावित दरे प्रति पशु (रूपये मे)
4	साण्ड–(पशु प्रजनन योग्य होना चाहिए)				
	मुर्रा साण्ड 2 से 4 दांत	1553	2,59,35,100	5,18,702	
	मुर्रा साण्ड पेडिग्रीड 2 से 4 दांत (रोग मुक्त प्रमाण पत्र के साथ)	500	12,50,000	2,50,000	
	गौ साण्ड 2 से 4 दांत				
	साहीवाल	500	57,50,000	1,15,000	
	गिर	500	57,50,000	1,15,000	
	थारपारकर	200	23,00,000	46,000	
	हरियाणा	600	64,80,000	1,29,600	
	मालवी	100	10,30,000	20,600	
	निमाडी	50	4,80,000	9,600	
	केनकथा	50	4,80,000	9,600	

स्पेसीमेन–1

निविदाकार के बारे में सामान्य जानकारी
पचास रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित

General Information about bidders
Notorized on 50/- rupee Non- judicial stamp paper

1. निविदाकार का नाम

2. फर्म/कम्पनी का नाम (यदि निविदाकार की कंपनी है/सोसायटी में सहभागिता है, तो इसे पंजीकृत होना चाहिए और इससे समर्थित दस्तावेज की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत करे)

पता :

टेलीफोन नंबर :

फैक्स नंबर :

(पार्टनरशिप फर्म/कंपनी की स्थिति में– प्रत्येक पार्टनर/भागीदार के नाम/पता/ टेलीफोन नंबर का उल्लेख किया जाये)

3. आवेदक कंपनी/निविदाकार की पंजीकरण क्रमांक, यदि हो :

4. संबंधित श्रेणी के पशु की प्रतिमास आपूर्ति की संभावित संख्या :

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर

नाम :..
पता :..

स्पेसीमेन–2

घोषणा पत्र
पचास रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित

Declaration letter
notorized on 50/- rupee Non- judicial stamp paper

मैं एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मैने पशु प्रदाय संबंधी प्रस्ताव एवं दस्तावेज के सभी खण्डो/शर्तो को भलीभांति पढ़ और समझ लिया है और मै इन्हे पूर्णरूप से स्वीकार करता हूं। मेरे द्वारा दिये गये विवरण सत्य है और कोई भी वास्तविक सूचना मेरे द्वारा छुपायी नही गयी है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर
नाम :..
पता :..

स्पेसीमेन–3

सहमति पत्र
पचास रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित

Acceptance letter
notorized on 50/- rupee Non- judicial stamp paper

मैं / हम .... पशु प्रदाय हेतु नियम व शर्तो व निविदा में उल्लेखित अन्य प्रावधानों के अनुसार नस्लवार निर्धारित मापदण्ड के पशु प्रदाय हेतु सहमत है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर
नाम :...
पता :...

स्पेसीमेन–4

काली सूची में नाम नही होने का घोषणा पत्र
पचास रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित

Declaration for not being Black listed
notorized on 50/- rupee Non- judicial stamp paper

मैं/हम .... घोषित करते है कि विगत 5 वर्षो में मध्य प्रदेश राज्य तथा अन्य राज्य के किसी शासकीय/ अर्धशासकीय उपक्रम द्वारा हमें काली सूची में नही रखा गया है। उपरोक्त कथन सत्य है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर
नाम :..
पता :..

स्पेसीमेन–5

निविदाकार या निविदाकार के साथ कार्य करने वाले लोग जिनके रिश्तेदार पशु चिकित्सा सेवायें एवं म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम में राजपत्रित अधिकारी के रूप में कार्यरत हो, की जानकारी

पचास रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित

Details of personnel working with the bidder and have relatives as gazetted officers in Veterinary Department & M.P. Livestock & Poultry Development Corporation

Notorized on 50/- rupee Non- judicial stamp paper

मेरे साथ कार्य करने वाले लोग जिनके रिश्तेदार पशु चिकित्सा सेवायें, मध्यप्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम में राजपत्रित अधिकारी के रूप में कार्यरत हो, की जानकारी निम्नानुसार है –

स. क्र.	मेरे साथ कार्य करने वाले कर्मचारी का नाम	पशु चिकित्सा विभाग / म.प्र. राज्य पशुधन एव कुक्कुट विकास निगम में कार्यरत रिश्तेदार राजपत्रित अधिकारी का नाम	रिश्ते का प्रकार	अभियुक्ति

उपरोक्त जानकारी सत्यापित करता हूॅ।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

नाम :..

पता :..

परिशिष्ट–2

अनुबंध

यह अनुबंध आज दिनांक............................ को श्री .... आत्मज श्री....................................... निवासी .... जिसे इसके पश्चात् प्रदायकर्ता कहा गया है, उनके तथा प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के मध्य यह अनुबंध निम्न शर्तो एवं उपबंधों पर निष्पादन किया जाता है।

1. यह कि प्रदायकर्ता निर्धारित शर्त पर प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम भोपाल से पशु प्रदाय हेतु निविदा की निर्धारित शर्ते एवं नियम जो कि इस अनुबंध के अविभाज्य अंग है के अनुसार पशु प्रदायकर्ता को अनिवार्य एवं बन्धनकारक रहेंगे।

2. यह कि पशु प्रदायकर्ता, प्रदाय हेतु निर्धारित शर्तो तथा (रजिस्ट्रेशन डीड)मे लिखे गये शर्तो का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं करेगा। उल्लंघन करने पर, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम भोपाल के पास जमा की गई सुरक्षा निधि जब्त की जा सकेगी तथा इससे हुई क्षति की पूर्ति के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा ।

3. यह कि पशु प्रदायकर्ता, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम भोपाल के द्वारा समय–समय पर निर्देशित स्थल/स्थानों पर पशु का प्रदाय करेंगे।

4. यह कि प्रदायकर्ता द्वारा किया गया पशु प्रदाय कार्य तभी सम्पूर्ण रूप से निष्पादित समझा जायेगा, जब जिला/विकासखण्ड के प्रभारी पशु चिकित्सालय/ समिति द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी कर दिया जावे, तथा पशु प्रदायकर्ता द्वारा जिला/विकासखण्ड के समिति को टीकाकरण संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जावे।

5. चयनित पशुओं के हितग्राही को वितरण पश्चात निर्धारित प्रारूप में समिति द्वारा पावती प्राप्त की जावेगी तथा पशु प्रदायकर्ता के द्वारा देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायेगे।

6. प्रदायकर्ता निर्धारित मापदण्ड अनुरूप पशुओं को उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा।

7. प्रस्ताव प्रपत्र की शर्ते व नियम की सभी कंडिकाओं का पालन करना अनिवार्य होगा तथा आवश्यक सुरक्षा निधि राशि प्रदायकर्ता द्वारा जमा की जावेगी।

8. L-1 पशु प्रदायक द्वारा आपूर्ति नही किये जाने की स्थिति में L-2 पशु प्रदायक सेआपूर्ति ली जा सकती है एवम् अन्तर की राशि L-1 पशु प्रदायक द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि राशि से वसुल की जा सकेगी ।

9. आवश्यकतानुसार अनुबंध में अन्य शर्तों का समावेश/संशोधन का अधिकार प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम भोपाल को होगा।

गवाह

1. आवेदक का नाम......................

पता ....

2. दिनांक ....